MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

Print Media Conversations

Period of Analysis: 10-09-2025 to 10-09-2025

Sr. No.	Date	Headline	Publication	Edition	Page no	Journalist	CCM
1	10/09/25	**31 दिसंबर तक कराएं स्प्री-2025 योजना में पंजीकरण गुरुग्राम। ऐसे उद्योग और कर्मचारी**	Amar Ujala	Chandigarh	2		N/A
2	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी**	Dainik State Samachar	Chandigarh	3		N/A
3	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : निदेशक, ईएसआईसी**	Dainik Janjagran	Chandigarh	Webpage		N/A
4	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा**	Aj Di Aawaz	Chandigarh	12		N/A
5	10/09/25	**The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme : Director, ESIC**	Punjab Di Lehar	Chandigarh	Webpage		N/A
6	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : निदेशक, ईएसआईसी**	Punjab Di Lehar	Chandigarh	Webpage		N/A
7	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : ईएसआईसी निदेशक, सुनील यादव**	Samarth Bandhu	Chandigarh	2		N/A
8	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक,**	Rishi Ki Aawaz	Chandigarh	4		N/A

Downloaded from
SAMVAD

Sr. No.	Date	Headline	Publication	Edition	Page no	Journalist	CCM
		ईएसआईसी					
9	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी	Ujaka Aaj Tak	Chandigarh	5		N/A
10	10/09/25	ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला	Dainik Ranghosh	Chandigarh	5		N/A
11	10/09/25	स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा, ईएसआईसी के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी	Haryana Ki Aawaz	Chandigarh	3		N/A
12	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना होगी कारगर सिद्ध	Jagat Kranti	Chandigarh	5		N/A
13	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी संवाददाता	City Darpan	Chandigarh	8		N/A
14	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : सुनील यादव	Apni Khabar	Chandigarh	8		N/A
15	10/09/25	स्त्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा	Gurgaon Mail	Chandigarh	8		N/A
16	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : ईएसआईसी, निदेशक	Justice News	Chandigarh	3		N/A
17	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : निदेशक, ईएसआईसी	Charhdikala	Chandigarh	12		N/A
18	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक	Action India	Chandigarh	2		N/A
19	10/09/25	अब कंपनियों और संस्थानों के	Desh Rojana	Chandigarh	8		N/A

Downloaded from
SAMVAD

Sr. No.	Date	Headline	Publication	Edition	Page no	Journalist	CCM
		कच्चे कर्मचारी भी करा सकेंगे ईएसआईसी से इलाज					
20	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः सुनील यादव	Jagmarg	Chandigarh	11		N/A
21	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी	5 Dariya News	Chandigarh	Webpage		N/A
22	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी	5 Dariya News	Chandigarh	Webpage		N/A
23	10/09/25	**The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC**	5 Dariya News	Chandigarh	Webpage		N/A
24	10/09/25	**ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram**	Punjab News Channel	Chandigarh	Webpage		N/A
25	10/09/25	स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी	Hind Janpath	Chandigarh	8		N/A
26	10/09/25	**The Scope Of Social Security To Expand With Spree-2025 And Amnesty Scheme: Director, Esic**	Jagrati Lahar	Chandigarh	Webpage		N/A
27	10/09/25	**The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC**	Justice News	Chandigarh	Webpage		N/A
28	10/09/25	एसपीआरआई-2025 और सर्व-समावेशी योजना से सामाजिक	Justice News	Chandigarh	Webpage		N/A

Downloaded from
SAMVAD

Sr. No.	Date	Headline	Publication	Edition	Page no	Journalist	CCM
		सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा: ईएसआईसी निदेशक					
29	10/09/25	**The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC**	Daily 24x7 News	Chandigarh	Webpage		N/A
30	10/09/25	**The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC**	Daily 24x7 News	Chandigarh	Webpage		N/A
31	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी**	Jiwanjot Savera	Chandigarh	Webpage		N/A
32	10/09/25	**स्प्री-2025 और सर्व- क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी**	Broadcast Mantra	Chandigarh	Webpage		N/A
33	10/09/25	**ESIC: Spree-2025 And Amnesty Scheme Will Increase The Scope Of Social Security**	The Public World	Chandigarh	Webpage		N/A
34	10/09/25	**ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला**	Patarkar Post	Chandigarh	Webpage		N/A

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Amar Ujala**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	2
CCM	N/A		

31 दिसंबर तक कराएं स्प्री-2025 योजना में पंजीकरण गुरुग्राम। ऐसे उद्योग और कर्मचारी

31 दिसंबर तक कराएं स्प्री-2025 योजना में पंजीकरण

गुरुग्राम। ऐसे उद्योग और कर्मचारी जो अब तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से नहीं जुड़े हैं, वह 31 दिसंबर तक स्प्री-2025 योजना में अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसमें नियोक्ताओं से पुराना बकाया नहीं मांगा जाएगा।

वह अपने कर्मचारियों और उद्योग का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। जिस तारीख से वह पंजीकरण कराएंगे उसी तारीख से उन्हें कवर्ड माना जाएगा। नए कर्मचारियों को उनकी पंजीकरण तारीख से ईएसआई के लाभ मिलने लगेंगे। यह जानकारी ईएसआईसी के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने दी। ब्यूरो

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik State Samachar**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	3
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी

● ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

गुरुग्राम, स्टेट समाचार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना। सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया। निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है। सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेवा, श्रीमती सीमा कपूर, श्री विकास, श्री अंकित के अलावा कर्मचारी श्री धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Janjagran**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : निदेशक, ईएसआईसी

दैनिक जनजागरण न्यूज़
www.dainikjanjagran.in

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : निदेशक, ईएसआईसी

by [illegible] on सितंबर 09, 2025 in प्रदेश

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

गुरुग्राम, 09 सितंबर: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाज़ी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर
उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद
निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मज़बूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत
सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।
उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, सीमा कपूर, विकास, अंकित के अलावा कर्मचारी धर्मवीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।
***

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Aj Di Aawaz**	**Language**	Punjabi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	12
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
epaper.ajdiawaaz.in
10 Sep 2025 - PAGE 12

ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ • ਆਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ- ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨਾਲ ਸੁਲਝਣਗੇ ਵਿਵਾਦ

ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲਗਣਗੇ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Punjab Di Lehar**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme : Director, ESIC

PUNJAB DE LEHAR NEWS

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme : Director, ESIC

By Ranjeet Singh Dhaliwal Punjab De Lehar News · Tuesday, September 09, 2025

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme : Director, ESIC

ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram

Gurugram 9 September (Ranjeet Singh Dhaliwal) : Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Director (In-charge) Sunil Yadav announced that the Corporation has launched two major schemes—SPREE-2025 and AMNESTY-2025—aimed at expanding social security coverage and providing relief to industries from the burden of litigation. He was addressing a seminar-cum-press conference held today at the PWD Rest House, Gurugram. Yadav said that these initiatives will give employers an opportunity to register their establishments and employees with ESIC, while workers will gain access to health benefits more conveniently. SPREE-2025 Scheme to Run Till 31 December 2025. The Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) will remain in force until 31 December 2025. Under this scheme, industries and employees not yet registered with ESIC can enroll without being burdened by past dues. Employers can register their establishments and employees through the ESI Portal, Shram Suvidha Portal, and MCA Portal. Employers registering under SPREE will be considered covered from either the date of registration or the date declared by them. Employees registered under the scheme will also begin receiving ESI benefits from the date of registration. Emphasis on Voluntary Compliance : Yadav highlighted that the scheme is based on voluntary compliance rather than punitive action, thereby reducing litigation, encouraging formal registration, and fostering trust and cooperation between employers and employees. During the seminar, representatives from industries including M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., and M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. raised their queries regarding the schemes, which were addressed and resolved on the spot. AMNESTY Scheme-2025 for Dispute Resolution : The Director (In-charge) further informed that the Corporation has also approved the AMNESTY Scheme-2025, a one-time dispute resolution mechanism. The scheme will be applicable from 1 October 2025 to 30 September 2026, providing settlement for disputes related to damages, interest, and coverage under the ESI Act. The objective is to reduce litigation, promote compliance, and provide relief to employers while strengthening the implementation of the Act. Industry Welcomes the Initiatives : Representatives of various industrial organizations present at the event welcomed the schemes, noting that they would provide relief to both small and large enterprises while ensuring employees gain easier access to social security and healthcare benefits. From ESIC's Sub-Regional Office Gurugram, Deputy Director Sachin Singh, Public Relations Officer Dr. Sweety Yadav, Assistant Director Kamlender Kumar, along with Social Security Officers Manoj Sachdeva, Seema Kapoor, Vikas, and Ankit, as well as employees Dharambir and Sunil, extended their support during the seminar.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Punjab Di Lehar**	**Language**	Punjabi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : निदेशक, ईएसआईसी

PUNJAB DE LEHAR NEWS

ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ : ਈਐਸਆਈਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

By Ranjeet Singh Dhaliwal Punjab De Lehar News - Tuesday, September 09, 2025

ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ : ਈਐਸਆਈਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਈਐਸਆਈਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ SPREE-2025 ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 9 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ ਡੀ ਐਲ) : ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲਗਣਗੇ। ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨਾਲ ਸੁਲਝਣਗੇ ਵਿਵਾਦ : ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ : ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਵੀਟੀ ਯਾਦਵ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਸਚਦੇਵਾ, ਸੀਮਾ ਕਪੂਰ, ਵਿਕਾਸ, ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਮਬੀਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Samarth Bandhu**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	2
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : ईएसआईसी निदेशक, सुनील यादव

स्प्री–2025 और सर्व–क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव

समर्थ बंधु

गुरुग्राम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री–2025 और सर्व–क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है– कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं।

इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है जोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा।

सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व–क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व–क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे–बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, सीमा कपूर, विकास, अंकित के अलावा कर्मचारी धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Rishi Ki Aawaz**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	4
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी

हिमांशु बजाज ऋषि की आवाज ब्यूरो गुरुग्राम: कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम मंगलवार को स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Ujaka Aaj Tak**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	5
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

चंडीगढ़ डॉ रमेश देहराज सम्पादक उजाला आज तक

गुरुग्राम, 09 सितंबर: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है जोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा।

सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेवा, श्रीमती सीमा कपूर, श्री विकास, श्री अंकित के अलावा कर्मचारी श्री धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Ranghosh**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	5
CCM	N/A		

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

रणघोष अपडेट. गुरुग्राम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने मंगलवार गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना।

31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, सीमा कपूर, विकास, अंकित के अलावा कर्मचारी धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Haryana Ki Aawaz**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	3
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा, ईएसआईसी के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी

स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा, ईएसआईसी के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी

गुरुग्राम(एचकेए ब्यूरो)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है– कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाज़ी के बोझ से राहत देना।

31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा।

एमनेस्टी योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने एमनेस्टी योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मज़बूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

Downloaded from
SAMVAD

Publication Jagat Kranti | **Language** Hindi
Edition Chandigarh | **Journalist**
Date 10/09/2025 | **Page no** 5
CCM N/A

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना होगी कारगर सिद्ध

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना होगी कारगर सिद्ध

- **बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : यादव**
- **स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला**

जगत क्रान्ति ⏭ गुरुग्राम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाज़ी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना। सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मज़बूत करना है।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**City Darpan**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	8
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी संवाददाता

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः निदेशक, ईएसआईसी

संवाददाता

चंडीगढ़/गुरुग्राम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं।इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना। सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा।नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे। उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेवा, श्रीमती सीमा कपूर, श्री विकास, श्री अंकित के अलावा कर्मचारी श्री धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Apni Khabar**	**Language**	Punjabi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	8
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : सुनील यादव

ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ

❖ **ਈਐਸਆਈਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ**

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਈਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਸ਼ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲਗਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Gurgaon Mail**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	8
CCM	N/A		

स्त्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

ब्यूरो/गुड़गांव मेल

गुड़गांव, 9 सितंबर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाज़ी के बोझ से राहत देना।

31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Justice News**	**Language**	Punjabi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	3
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : ईएसआईसी, निदेशक

•ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ESIC ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 09 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)- ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ

ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ ?ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ ?ਰੇਸ਼ਨ ਈਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਸ਼ ?ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ ?ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ ?ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ ?ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲਗਣਗੇ। ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ ?ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨਾਲ ਸੁਲਝਣਗੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ ?ਰੀ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਵੀਟੀ ਯਾਦਵ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ ?ਰੀ ਕਮਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ ?ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਚਦੇਵਾ, ਸ਼ ?ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਕਪੂਰ, ਸ਼ ?ਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ ?ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ ?ਰੀ ਧਰਮਬੀਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Charhdikala**	**Language**	Punjabi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	12
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा : निदेशक, ईएसआईसी

ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ
epaper.charhdikala.com
10 Sep 2025 - Page 12

ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲਗਣਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Action India**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	2
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक

एक्शन इंडिया

epaper.actionindialive.com
10 Sep 2025 - Page 2 - EDITION

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना। सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Desh Rojana**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	8
CCM	N/A		

अब कंपनियों और संस्थानों के कच्चे कर्मचारी भी करा सकेंगे ईएसआईसी से इलाज

देश रोजाना
बेबाक सच
Deshrojana - 10 Sep 2025 - Page 8

अब कंपनियों और संस्थानों के कच्चे कर्मचारी भी करा सकेंगे ईएसआईसी से इलाज

अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़ने वाले सभी उद्योग और कर्मचारी करा रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, 31 दिसंबर तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन

प्रवीण कुमार, देश रोजाना

गुरुग्राम। विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है। अब वे ईएसआई के तहत अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों का भी इलाज करा सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना।

बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 27 जून 2025 को शिमला में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 196वीं बैठक

में स्प्री योजना के नवीनीकरण की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) कवरेज को बढ़ाना है, जिससे अधिकाधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सके। यह योजना एक जुलाई 2025 से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।

माता- पिता, पत्नी-बच्चों, सब का इलाज

सरकार की स्प्री योजना के तहत अब कर्मचारी न केवल स्वयं, बल्कि अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों का भी मुफ्त इलाज ईएसआईसी के अंतर्गत करा सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने इस योजना को फिर से शुरू कर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और अस्थाई कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज का लाभ देने के उद्देश्य से लाई गई है। इसमें पंजीकरण से चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों की सीधी पात्रता मिलेगी।

इनको मिलेगा लाभ

कर्मचारी के माता-पिता यदि कर्मचारी पर आश्रित हैं और मासिक आय 5,000 रुपए से कम है, तो वे इस योजना के तहत फ्री में इलाज पाने के हकदार हैं। पत्नी भी फ्री में इलाज और प्रसव सहायता की पात्र है, जिसमें 26 सप्ताह तक पूर्ण वेतन मिलता है। 18 वर्ष तक (या विकलांग होने की स्थिति में आजीवन) चिकित्सा लाभ के पात्र हैं। यहां तक कि सौतेले व दत्तक बच्चे भी शामिल किए जा सकते हैं।

क्या है स्प्री योजना?

स्प्री का पूरा नाम सोशल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर एम्प्लाइज एंपावरमेंट है. यह एक केंद्रीय योजना है, जिसे मूल रूप से 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अपंजीकृत नियोक्ताओं और अनुबंधित अथवा अस्थाई कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। 2016 की पहली योजना से 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ था। अब फिर से इस योजना को शुरू कर सरकार स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना चाहती है। स्प्री योजना के अंतर्गत केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे।

स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा।

एमनेस्टी योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

यादव ने बताया कि निगम ने एमनेस्टी योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Jagmarg**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	11
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः सुनील यादव

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायराः सुनील यादव

ईएसआईसी निदेशक ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

जगमार्ग न्यूज

गुरुग्राम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना।

31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना। सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**5 Dariya News**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

5 Dariya News

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

5 Dariya News

गुरुग्राम 09-Sep-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाज़ी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना। सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।

इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं।

इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा।

सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मज़बूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेवा, श्रीमती सीमा कपूर, श्री विकास, श्री अंकित के अलावा कर्मचारी श्री धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**5 Dariya News**	**Language**	Punjabi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

5 Dariya News

ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ESIC ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ESIC ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ SPREE-2025 ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ

5 Dariya News

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 09-Sep-2025

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲਗਣਗੇ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨਾਲ ਸੁਲਝਣਗੇ ਵਿਵਾਦ

ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਵੀਟੀ ਯਾਦਵ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਚਦੇਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਬੀਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**5 Dariya News**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

5 Dariya News

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram

5 Dariya News

Gurugram 09-Sep-2025

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Director (In-charge) Shri Sunil Yadav announced that the Corporation has launched two major schemes—SPREE-2025 and AMNESTY-2025—aimed at expanding social security coverage and providing relief to industries from the burden of litigation. He was addressing a seminar-cum-press conference held today at the PWD Rest House, Gurugram.

Shri Yadav said that these initiatives will give employers an opportunity to register their establishments and employees with ESIC, while workers will gain access to health benefits more conveniently. SPREE-2025 Scheme to Run Till 31 December 2025.

The Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) will remain in force until 31 December 2025. Under this scheme, industries and employees not yet registered with ESIC can enroll without being burdened by past dues.

Employers can register their establishments and employees through the ESI Portal, Shram Suvidha Portal, and MCA Portal. Employers registering under SPREE will be considered covered from either the date of registration or the date declared by them.

Employees registered under the scheme will also begin receiving ESI benefits from the date of registration.

Emphasis on Voluntary Compliance

Shri Yadav highlighted that the scheme is based on voluntary compliance rather than punitive action, thereby reducing litigation, encouraging formal registration, and fostering trust and cooperation between employers and employees.

During the seminar, representatives from industries including M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., and M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. raised their queries regarding the schemes, which were addressed and resolved on the spot.

AMNESTY Scheme-2025 for Dispute Resolution

The Director (In-charge) further informed that the Corporation has also approved the AMNESTY Scheme-2025, a one-time dispute resolution mechanism. The scheme will be applicable from 1 October 2025 to 30 September 2026, providing settlement for disputes related to damages, interest, and coverage under the ESI Act.

The objective is to reduce litigation, promote compliance, and provide relief to employers while strengthening the implementation of the Act.

Industry Welcomes the Initiatives

Representatives of various industrial organizations present at the event welcomed the schemes, noting that they would provide relief to both small and large enterprises while ensuring employees gain easier access to social security and healthcare benefits.

From ESIC's Sub-Regional Office Gurugram, Deputy Director Shri Sachin Singh, Public Relations Officer Dr. Sweety Yadav, Assistant Director Shri Kamlender Kumar, along with Social Security Officers Shri Manoj Sachdeva, Smt. Seema Kapoor, Shri Vikas, and Shri Ankit, as well as employees Shri Dharambir and Shri Sunil, extended their support during the seminar.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Punjab News Channel**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram

Home Sample Page

Home / English / ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram

English

ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram

By admin Sep 9, 2025 #Sunil Yadav

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

Gurugram, 09 September: Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Director (In-charge) Shri Sunil Yadav announced that the Corporation has launched two major schemes—SPREE-2025 and AMNESTY-2025—aimed at expanding social security coverage and providing relief to industries from the burden of litigation. He was addressing a seminar-cum-press conference held today at the PWD Rest House, Gurugram.

Shri Yadav said that these initiatives will give employers an opportunity to register their establishments and employees with ESIC, while workers will gain access to health benefits more conveniently. SPREE-2025 Scheme to Run Till 31 December 2025.

The Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) will remain in force until 31 December 2025. Under this scheme, industries and employees not yet registered with ESIC can enroll without being burdened by past dues. Employers can register their establishments and employees through the ESI Portal, Shram Suvidha Portal, and MCA Portal.

Employers registering under SPREE will be considered covered from either the date of registration or the date declared by them. Employees registered under the scheme will also begin receiving ESI benefits from the date of registration.

Emphasis on Voluntary Compliance

Shri Yadav highlighted that the scheme is based on voluntary compliance rather than punitive action, thereby reducing litigation, encouraging formal registration, and fostering trust and cooperation between employers and employees.

During the seminar, representatives from industries including M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., and M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. raised their queries regarding the schemes, which were addressed and resolved on the spot.

AMNESTY Scheme-2025 for Dispute Resolution

The Director (In-charge) further informed that the Corporation has also approved the AMNESTY Scheme-2025, a one-time dispute resolution mechanism. The scheme will be applicable from 1 October 2025 to 30 September 2026, providing settlement for disputes related to damages, interest, and coverage under the ESI Act.

The objective is to reduce litigation, promote compliance, and provide relief to employers while strengthening the implementation of the Act.

Industry Welcomes the Initiatives

Representatives of various industrial organizations present at the event welcomed the schemes, noting that they would provide relief to both small and large enterprises while ensuring employees gain easier access to social security and healthcare benefits.

From ESIC's Sub-Regional Office Gurugram, Deputy Director Shri Sachin Singh, Public Relations Officer Dr. Sweety Yadav, Assistant Director Shri Kamlender Kumar, along with Social Security Officers Shri Manoj Sachdeva, Smt. Seema Kapoor, Shri Vikas, and Shri Ankit, as well as employees Shri Dharambir and Shri Sunil, extended their support during the seminar.

Downloaded from SAMVAD

Publication	**Hind Janpath**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	8
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

हिन्द जनपथ
गुरुग्राम(ब्यूरो)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Jagrati Lahar**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

The Scope Of Social Security To Expand With Spree-2025 And Amnesty Scheme: Director, Esic

Jagrati Lahar | News ▾ | Contact us

The Scope Of Social Security To Expand With Spree-2025 And Amnesty Scheme: Director, Esic

Sep9,2025 | Jagrati Lahar Bureau | Gurugram

ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram

Gurugram, 09 September: Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Director (In-charge) Shri Sunil Yadav announced that the Corporation has launched two major schemes—SPREE-2025 and AMNESTY-2025—aimed at expanding social security coverage and providing relief to industries from the burden of litigation. He was addressing a seminar-cum-press conference held today at the PWD Rest House, Gurugram.

Shri Yadav said that these initiatives will give employers an opportunity to register their establishments and employees with ESIC, while workers will gain access to health benefits more conveniently. SPREE-2025 Scheme to Run Till 31 December 2025.

The Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) will remain in force until 31 December 2025. Under this scheme, industries and employees not yet registered with ESIC can enroll without being burdened by past dues. Employers can register their establishments and employees through the ESI Portal, Shram Suvidha Portal, and MCA Portal.

Employers registering under SPREE will be considered covered from either the date of registration or the date declared by them. Employees registered under the scheme will also begin receiving ESI benefits from the date of registration.

Emphasis on Voluntary Compliance

Shri Yadav highlighted that the scheme is based on voluntary compliance rather than punitive action, thereby reducing litigation, encouraging formal registration, and fostering trust and cooperation between employers and employees.

During the seminar, representatives from industries including M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., and M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. raised their queries regarding the schemes, which were addressed and resolved on the spot.

AMNESTY Scheme-2025 for Dispute Resolution

The Director (In-charge) further informed that the Corporation has also approved the AMNESTY Scheme-2025, a one-time dispute resolution mechanism. The scheme will be applicable from 1 October 2025 to 30 September 2026, providing settlement for disputes related to damages, interest, and coverage under the ESI Act.

The objective is to reduce litigation, promote compliance, and provide relief to employers while strengthening the implementation of the Act.

Industry Welcomes the Initiatives

Representatives of various industrial organizations present at the event welcomed the schemes, noting that they would provide relief to both small and large enterprises while ensuring employees gain easier access to social security and healthcare benefits.

From ESIC's Sub-Regional Office Gurugram, Deputy Director Shri Sachin Singh, Public Relations Officer Dr. Sweety Yadav, Assistant Director Shri Kamlender Kumar, along with Social Security Officers Shri Manoj Sachdeva, Smt. Seema Kapoor, Shri Vikas, and Shri Ankit, as well as employees Shri Dharambir and Shri Sunil, extended their support during the seminar.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Justice News**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

September 9, 2025 Balvir Singh ਪੰਜਾਬ 0

Gurugram (Justice News)

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Director (In-charge) Shri Sunil Yadav announced that the Corporation has launched two major schemes—SPREE-2025 and AMNESTY-2025—aimed at expanding social security coverage and providing relief to industries from the burden of litigation. He was addressing a seminar-cum-press conference held today at the PWD Rest House, Gurugram.

Shri Yadav said that these initiatives will give employers an opportunity to register their establishments and employees with ESIC, while workers will gain access to health benefits more conveniently. SPREE-2025 Scheme to Run Till 31 December 2025.

The Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) will remain in force until 31 December 2025. Under this scheme, industries and employees not yet registered with ESIC can enroll without being burdened by past dues. Employers can register their establishments and employees through the ESI Portal, Shram Suvidha Portal, and MCA Portal.

Employers registering under SPREE will be considered covered from either the date of registration or the date declared by them. Employees registered under the scheme will also begin receiving ESI benefits from the date of registration.

Emphasis on Voluntary Compliance

Shri Yadav highlighted that the scheme is based on voluntary compliance rather than punitive action, thereby reducing litigation, encouraging formal registration, and fostering trust and cooperation between employers and employees.

During the seminar, representatives from industries including M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., and M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. raised their queries regarding the schemes, which were addressed and resolved on the spot.

AMNESTY Scheme-2025 for Dispute Resolution

The Director (In-charge) further informed that the Corporation has also approved the AMNESTY Scheme-2025, a one-time dispute resolution mechanism. The scheme will be applicable from 1 October 2025 to 30 September 2026, providing settlement for disputes related to damages, interest, and coverage under the ESI Act.

The objective is to reduce litigation, promote compliance, and provide relief to employers while strengthening the implementation of the Act.

Industry Welcomes the Initiatives

Representatives of various industrial organizations present at the event welcomed the schemes, noting that they would provide relief to both small and large enterprises while ensuring employees gain easier access to social security and healthcare benefits.

From ESIC's Sub-Regional Office Gurugram, Deputy Director Shri Sachin Singh, Public Relations Officer Dr. Sweety Yadav, Assistant Director Shri Kamlender Kumar, along with Social Security Officers Shri Manoj Sachdeva, Smt. Seema Kapoor, Shri Vikas, and Shri Ankit, as well as employees Shri Dharambir and Shri Sunil, extended their support during the seminar.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Justice News**	**Language**	Punjabi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

एसपीआरआई-2025 और सर्व-समावेशी योजना से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा: ईएसआईसी निदेशक

Justice News

ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

HOME ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਡਾਂ ਵਿਗਿਆਨ

ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ESIC ਡਾਇਰੈਕਟਰ

September 9, 2025 Balvir Singh ਪੰਜਾਬ 0

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੀ-2025 ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ।

ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈਐੱਸਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲਗਣਗੇ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨਾਲ ਸੁਲਝਣਗੇ ਵਿਵਾਦ

ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਇੰਚਾਰਜ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਮਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਚਦੇਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਬੀਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Daily 24x7 News**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

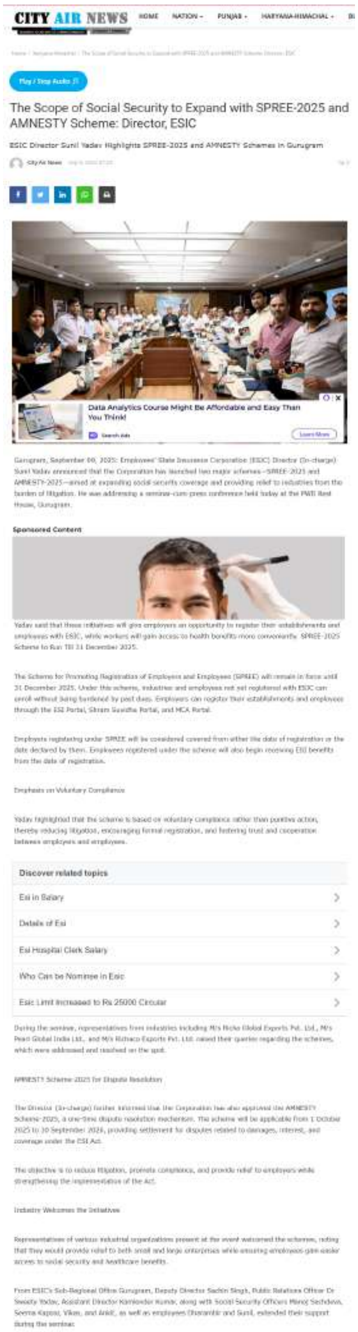

CITY AIR NEWS

HOME NATION PUNJAB HARYANA-HIMACHAL

Play / Stop Audio

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

ESIC Director Sunil Yadav Highlights SPREE-2025 and AMNESTY Schemes in Gurugram

City Air News

Data Analytics Course Might Be Affordable and Easy Than You Think!

Search Ads Learn More

Gurugram, September 09, 2025: Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Director (In-charge) Sunil Yadav announced that the Corporation has launched two major schemes—SPREE-2025 and AMNESTY-2025—aimed at expanding social security coverage and providing relief to industries from the burden of litigation. He was addressing a seminar-cum-press conference held today at the PWD Rest House, Gurugram.

Sponsored Content

Yadav said that these initiatives will give employers an opportunity to register their establishments and employees with ESIC, while workers will gain access to health benefits more conveniently. SPREE-2025 Scheme to Run Till 31 December 2025.

The Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) will remain in force until 31 December 2025. Under this scheme, industries and employees not yet registered with ESIC can enroll without being burdened by past dues. Employers can register their establishments and employees through the ESI Portal, Shram Suvidha Portal, and MCA Portal.

Employers registering under SPREE will be considered covered from either the date of registration or the date declared by them. Employees registered under the scheme will also begin receiving ESI benefits from the date of registration.

Emphasis on Voluntary Compliance

Yadav highlighted that the scheme is based on voluntary compliance rather than punitive action, thereby reducing litigation, encouraging formal registration, and fostering trust and cooperation between employers and employees.

Discover related topics

- Esi in Salary
- Details of Esi
- Esi Hospital Clerk Salary
- Who Can be Nominee in Esic
- Esic Limit Increased to Rs 25000 Circular

During the seminar, representatives from industries including M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., and M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. raised their queries regarding the schemes, which were addressed and resolved on the spot.

AMNESTY Scheme 2025 for Dispute Resolution

The Director (In-charge) further informed that the Corporation has also approved the AMNESTY Scheme-2025, a one-time dispute resolution mechanism. The scheme will be applicable from 1 October 2025 to 30 September 2026, providing settlement for disputes related to damages, interest, and coverage under the ESI Act.

The objective is to reduce litigation, promote compliance, and provide relief to employers while strengthening the implementation of the Act.

Industry Welcomes the Initiatives

Representatives of various industrial organizations present at the event welcomed the schemes, noting that they would provide relief to both small and large enterprises while ensuring employees gain easier access to social security and healthcare benefits.

From ESIC's Sub-Regional Office Gurugram, Deputy Director Sachin Singh, Public Relations Officer Dr Sweety Yadav, Assistant Director Kamlender Kumar, along with Social Security Officers Manoj Sachdeva, Seema Kapoor, Vikas, and Ankit, as well as employees Dharambir and Sunil, extended their support during the seminar.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Daily 24x7 News**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

The Scope of Social Security to Expand with SPREE-2025 and AMNESTY Scheme: Director, ESIC

DAILY 24x7 NEWS
A UNIT OF 5 DARIYA NEWS

Home · National Leaders · Must Read · Punjab · H.P. · J&K · Entertainment · Educat

The Scope Of Social Security To Expand With SPREE-2025 And AMNESTY Scheme: Director, ESIC

By Daily 24x7 News — Published on Sep 10, 2025 — UNCATEGORIZED

Share

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Director (In charge) Shri Sunil Yadav announced that the Corporation has launched two major schemes—SPREE-2025 and AMNESTY-2025—aimed at expanding social security coverage and providing relief to industries from the burden of litigation. He was addressing a seminar-cum-press conference held today at the PWD Rest House, Gurugram.

Shri Yadav said that these initiatives will give employers an opportunity to register their establishments and employees with ESIC, while workers will gain access to health benefits more conveniently. SPREE-2025 Scheme to Run Till 31 December 2025.

The Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees (SPREE) will remain in force until 31 December 2025. Under this scheme, industries and employees not yet registered with ESIC can enroll without being burdened by past dues.

Employers can register their establishments and employees through the ESI Portal, Shram Suvidha Portal, and MCA Portal. Employers registering under SPREE will be considered covered from either the date of registration or the date declared by them.

Employees registered under the scheme will also begin receiving ESI benefits from the date of registration.

Emphasis on Voluntary Compliance

Shri Yadav highlighted that the scheme is based on voluntary compliance rather than punitive action, thereby reducing litigation, encouraging formal registration, and fostering trust and cooperation between employers and employees.

During the seminar, representatives from industries including M/s Richa Global Exports Pvt. Ltd., M/s Pearl Global India Ltd., and M/s Richaco Exports Pvt. Ltd. raised their queries regarding the schemes, which were addressed and resolved on the spot.

AMNESTY Scheme-2025 for Dispute Resolution

The Director (In-charge) further informed that the Corporation has also approved the AMNESTY Scheme-2025, a one-time dispute resolution mechanism. The scheme will be applicable from 1 October 2025 to 30 September 2026, providing settlement for disputes related to damages, interest, and coverage under the ESI Act.

The objective is to reduce litigation, promote compliance, and provide relief to employers while strengthening the implementation of the Act.

Industry Welcomes the Initiatives

Representatives of various industrial organizations present at the event welcomed the schemes, noting that they would provide relief to both small and large enterprises while ensuring employees gain easier access to social security and healthcare benefits.

From ESIC's Sub-Regional Office Gurugram, Deputy Director Shri Sachin Singh, Public Relations Officer Dr. Sweety Yadav, Assistant Director Shri Kamlender Kumar, along with Social Security Officers Shri Manoj Sachdeva, Smt. Seema Kapoor, Shri Vikas, and Shri Ankit, as well as employees Shri Dharambir and Shri Sunil, extended their support during the seminar.

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Jiwanjot Savera**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

Home Religion Education Social Activities E-Paper Punjabi News Videos Entertainment Crime

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

September 9, 2025

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

चंडीगढ़ (ब्यूरो) :- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाजी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है जोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे। उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक कमलेश कुमार उपस्थित रहे। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, सीमा कपूर, विकास, अंकित के अलावा कर्मचारी धर्मवीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Broadcast Mantra**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

राजदरबार | राज्य | देश विदेश | मनोरंजन | स्वास्थ्य और फिटनेस | खेल | विशेष

होम / श्रेणी : राज्य

स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा: निदेशक, ईएसआईसी

9 September, 2025, 8:50 pm

ब्रॉडकास्ट मन्त्रा ब्यूरो

गुरुग्राम, 09 सितंबर: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाज़ी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मज़बूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेवा, श्रीमती सीमा कपूर, श्री विकास, श्री अंकित के अलावा कर्मचारी श्री धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

***

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**The Public World**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

ESIC: Spree-2025 And Amnesty Scheme Will Increase The Scope Of Social Security

THE PUBLIC WORLD

Delhi/NCR National State World Business Education Sports

Breaking News: PM Undertakes Aerial Survey of Flood and Rain Affected Areas of Himachal Pradesh

Business Gurugram LATEST NEWS National

9th September 2025

ESIC : Spree-2025 And Amnesty Scheme Will Increase The Scope Of Social Security

Posted By: thepublicworld / 0 Comment

-ESIC Director (in-charge) Sunil Yadav gave information in a press conference in Gurugram

-Sunil Yadav said, employers will get the opportunity to register, employees will easily get health benefits

Font Size A+ A- D

Gurugram : Employees State Insurance Corporation (ESIC) Director (in-charge) Sunil Yadav said in a press conference held at PWD Rest House in Gurugram today that the corporation has implemented two important schemes in the interest of employees and employers. These include Spree-2025 and Amnesty Scheme 2025. The objective of these schemes is to bring workers under the ambit of social security and to relieve industries from the burden of litigation.

Spree scheme will run till 31 December 2025

Sunil Yadav said that Spree scheme will remain in force till 31 December 2025. Under this, all those industries and employees, who are not yet connected with ESIC, will be able to register without facing the demand of old dues. Employers can register their industries and employees through ESI portal, Shram Suvidha portal and Company Affairs portal. Employers who register under this scheme will be considered covered from the date of their registration or the date declared by them. Newly registered employees will also start getting ESI benefits from the date of their registration.

Emphasis on voluntary compliance

He said that the basis of this scheme is not punitive action but voluntary compliance. This will reduce the burden of litigation, promote formal registration and create an atmosphere of better trust and cooperation between employers and employees.

Disputes will be resolved through Amnesty Scheme 2025

The Director (in-charge) said that the corporation has also approved the Amnesty Scheme 2025. This scheme is a one-time dispute resolution scheme, which will be in force from October 1, 2025 to September 30, 2026. In this, losses, interest and other disputes related to coverage will be settled. The objective of this scheme is to reduce the number of cases and strengthen compliance under the ESI Act while giving relief to employers.

Industry welcomed it

Representatives of various industrial organizations were also present in the press conference. They said that these schemes will provide relief to small and big industries and employe

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Patarkar Post**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	10/09/2025	**Page no**	Webpage
CCM	N/A		

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

PATARKAR POST

भारत पंजाब जुर्म चंडीगढ़ कृषि हरियाणा शिक्षा खेल स्वास्थ्य व्यापार विदेश धर्म मनोरंज

Home / Uncategorized / ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

Uncategorized

ईएसआईसी निदेशक सुनील यादव ने गुरुग्राम में स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजनाओं पर प्रकाश डाला

Patarkar Post September 9, 2025

गुरुग्राम, 09/09/2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने आज गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निगम ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हित में दो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्प्री-2025 और सर्व-क्षमा योजना 2025 शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है- कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उद्योगों को मुकदमेबाज़ी के बोझ से राहत देना। 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी स्प्री योजना।

सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

स्वैच्छिक अनुपालन पर है ज़ोर

उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पर्ल ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिचाको एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमीनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या श्री सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

सर्व-क्षमा योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मज़बूत करना है।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमीनार सह प्रेस वार्ता में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक श्री कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहें। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेवा, श्रीमती सीमा कपूर, श्री विकास, श्री अंकित के अलावा कर्मचारी श्री धर्मबीर एवं सुनील ने भी इस सेमीनार में अपना सहयोग दिया।

****

Downloaded from
SAMVAD